2/18

धनराज बनाम सरकार बालाराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/2/20	पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक आद्योपान्त गहन अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रार्थी/वादी द्वारा वादपत्र के कथन, वर्णित तथ्य, वांछित अनुतोषादि, अप्रार्थीगण/प्रति० के जवाब, राजीनामा, एवं प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजात पर सम्यक अनुशीलन एवं मनन किया। वादी द्वारा ग्राम अमरपुरा के राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती चाही गई है। वादी ने ग्राम अमरपुरा के ख० नं० 1592/755 का खातेदार घोषित होते हुये, नक्शे में ख० नं० 757 को ख० नं० 1592/755 की जगह, एवं खसरा नं० 1592/755 को ख० नं० 757 की जगह दर्शाने एवं दोनों खसरा नम्बर का रकबा पूर्ववत रखे जाने का अनुतोष चाहा है। प्रतिवादी बालाराम को इस पर आपत्ति नहीं है। वादीगण एवं प्रतिवादी० की ओर से आपसी सहमति का राजीनामा दि० 11.9.19 को प्रस्तुत किया गया। राजीनामा शामिल मिसल है। हस्ब दस्ता-1 ग्राम अमरपुरा की भूमि ख० नं० 754, 755, 758 किता 3 रकबा 0.63 हेक्टर भूमि वादी के नाम पर दर्ज रिकार्ड है। दस्ता० 2 वाकयात भूमि का नक्शा है। हस्ब दस्ता-3 ग्राम अमरपुरा की भूमि ख० नं० 1592/755 (पूर्व) रकबा 0.32 हेक्टर भूमि प्रति० 2 व 4 के नाम पर दर्ज रिकार्ड है। दस्ता० 4 मन्नालाल S/O धूमा द्वारा जुबेर को भूमि बेचान की दिनांक 5.6.2012 की	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म जो ... में जारी
	रजिस्ट्री है/उक्त रजिस्ट्री में सुरेश द्वारा ग्राम अमरपुरा की भूमि खसरा नम्बर 540 की 3 बीघा 17 बिस्वा भूमि मक्का से बलात परिवर्तन किया गया है। प्रदर्श 4 में ही प्रदर्श 5 का भी हवाला है, जिसमें मक्का द्वारा ग्राम अमरपुरा की भूमि ख० नं० 540/2 की 5 बीघा 17 बिस्वा में से 2 बीघा भूमि रोडीवाई को बलात दर्ज किया विक्रय की गई थी। प्रदर्श 8 बादगाह भूमि मालिक ख० नं० 540 रकबा 3.11/2 हिस्सा नम्बर 754 755 व 758 पैदा किये जाने का फर्द मिलान है। प्रदर्श-9 बादगाह भूमि का मालिक खसरा नम्बर का नक्शा है, जिसमें दर्ज परिवर्तन या किसी भी प्रकार की कोई तरमीम नहीं हो रही है। प्रकरण में मौका रिपोर्ट ग.ल.R कुडायना प्रस्तुत हुई है, उक्त मौका रिपोर्ट के अनुसार ख० नं० 755 रकबा 0.40 हेक्टर भूमि वादी के नाम दर्ज थी उक्त भूमि पर वादी ही काबिज काश्त थी। खसरा नं० 1592/755 रकबा 0.32 हेक्टर बाबाराम वगैरह के नाम दर्ज है, जिस पर बाबाराम ही काबिज थी। ख० नं० 754 रकबा 0.07 हेक्टर भूमि वादी के नाम पर दर्ज है, उक्त भूमि पर बाबाराम काबिज थी। खसरा नं०	

[illegible]	[illegible]	[illegible]
	1६४ [illegible] [illegible] पर [illegible] [illegible] वादी [illegible] है, मगर उक्त भूमि पर भी [illegible] आदि प्रतिवादी काबिज है। वादी [illegible] के अनुरोध में वादी ख० नं० 163 की ख०सं० 1592/755 की जगह एवं ख०सं० 1592/755 की ख० नं० 163 के स्थान पर [illegible] जाने का अनुरोध किया है। खसरा नम्बर 163 जिस खातेदार के नाम दर्ज है, कोई जानकारी नहीं दी। (वादीगण) खसरा नम्बर 1592/755 एवं 755 के पक्षकारों के मध्य थी। उसमें भी 757 ख०नं० आवेदित किया हुआ थी। सम्भावनाओं अनुसार यदि पक्षकार सहमत भी हैं तो वे धारा 48-49 R.T.Act के प्रावधानों के अनुसार विनिमय हेतु कार्यवाही कर सकते थे, क्योंकि ख०सं० 1592/755 प्रतिवादी के नाम दर्ज है तथा मौके पर भी वही काबिज है। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि का साबिक खसरा नम्बर दर्ज किया है, कोई नक्शा के साबिक खसरा नम्बर से हाल खसरा व कोई तरमीम नहीं हो रही है। इस कारण यह तय नहीं किया जा सकता कि चकबन्दी से पूर्व वादी साबिक आराजी में किस स्थान पर काबिज था। प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक विचार किया गया। वादी के द्वारा	

[signature]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बोन्डिड अनुतोष पर क्योंकि प्रति० 2 से 5 को आपत्ति नहीं है, परन्तु वादी द्वारा बोन्डिड अनुतोष नियमानुसार दिया जाना उचित नहीं पाया जाता है/ पक्षकार चाहे तो धारा 48-49 R.T. Act के अनुसार तहसीलदार रामगंज मण्डी के समक्ष कार्यवाही हेतु स्वतंत्र रहेंगे। अतः दावा वादी खारिज किया जाकर तहसीलदार रामगंजमण्डी को यह निर्देश प्रदान किये जाते हैं, कि के धारा 48-49 R.T. Act का प्रा० पत्र पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर 49 (क) के अधीन रहते हुए उक्त पक्षकारों के मध्य नियमानुसार विनिमय की कार्यवाही संपादित करें। तदनुसार डिक्री मुरत्तिब हो। पत्रावली की निर्धारित मे गणना की जाकर दाखिल रेकर्ड भण्डार हो। निर्णय आज दिनांक 18/2/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया। 18/2/20 (चिमनलाल मीणा)	

अंतिम डिकरी व मुकद्दमे [illegible]

[illegible]

(Civil Procedure Code: Appendix D-1)

उपखण्ड अधिकारी [illegible] [redacted] रामगंजमण्डी
चिमनलाल मीणा (R.A.S.)

जिला [illegible] कोटा
[illegible] 88-89 R.T. Act 1955 व 136 L.R. Act 1956

2 [illegible] 2018

[illegible] प्रथम चिमनलाल मीणा (R.A.S.)

श्री म.प्र. चौधरी एड. [illegible] अधि.

[illegible] मुद्दायलाह पेश होकर, [illegible] जाता है व डिकरी दी जाती है कि

दावा वादी खारिज किया जाकर तहसीलदार रामगंजमण्डी को यह निर्देश प्रदान किये जाते हैं, कि वे धारा 48-49 R.T. Act का प्रा. पत्र पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर धारा 49(क) के अधीन रहते हुये उक्त पक्षकारों के मध्य नियमानुसार विनिमय की कार्यवाही संपादित करें

— [illegible] — — — [illegible] —

[illegible] — — [illegible] आज की तारीख

[illegible] — — को अदा करें।

[illegible] मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18 माह 02 2020 [illegible]

दस्तखत —
ओहदा — उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दायलाह	रुपया	पैसे
[illegible]	2	-	स्टाम्प वकालतनामा ..		
[illegible] ..	2	-	स्टाम्प अर्जी ..		
[illegible] ..			महन्ताना वकील पर ..		
[illegible] ..	-	.	अर्जी गवाहान ..		
[illegible] ..			फीस कमिश्नर ..		
[illegible] ..			बाबत इजराय हुक्मनामा ..		
[illegible] हुक्मनामा ..	-	.	मुतफर्रिक ..		
..	16	-	.	4	-
मीजान..	20	-	मीजान..	4	-

[illegible] के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज [illegible] चाहिये।

[illegible]-2004-1,00,000 फ.

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी